दो उप स्वास्थ्य केंद्र भवन सहित विकास कार्यों का उद्घाटन

पाली/सुमेरपुर, (नि.सं.) पाली जिले में सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रवास के दौरान शनिवार को पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने ग्राम पंचायत अनोपपुरा में 23 विकास कार्यों का उद्घाटन किया।

इसके अलावा कुमावत ने ग्राम पंचायत अनोपपुरा व इसी पंचायत के गांव भाचुंदा में नवनिर्मित उप स्वास्थ्य केंद्र के भवनों का फीता काटकर लोकार्पण किया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 55-55 लाख रुपए की लागत से बने इस भवनों में चिकित्सीय सेवाएं प्रारंभ होने से रोगियों को सुविधा होगी।

कुमावत ने कहा कि दोनों उप स्वास्थ्य केंद्रों के भवन बेहद जर्जर होने के कारण उनका संचालन किराये के भवनों में हो रहा था। ग्रामीणों ने गांव में चिकित्सा सुविधाओं की कमी से अवगत कराया था। इससे आम जनता और दूरदराज की ढाणियों के लोगों को पूरी सुविधा नहीं मिल पा रही थी। गर्भवती महिलाओं सहित ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा के लिए 4 किलोमीटर दूर स्थित चाणोद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाना पड़ता था। अब इन नए केंद्रों का विधिवत रूप से संचालन शुरू हो गया है।

इससे क्षेत्र के लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए अब दूसरे स्थानों पर नहीं जाना पड़ेगा। इन उप स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

पाली जिले में सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रवास के दौरान पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत न कई विकास कार्यों का उद्घाटन किया। फोटो-राष्ट्रदूत

इसी तरह कुमावत ने अनोपपुरा ग्राम पंचायत में 34 लाख रुपए की लागत से बनी सीसी रोड का लोकार्पण, 110 लाख रुपए की लागत से अनोपपुरा से बिठुड़ा तक तथा 65 लाख रुपए की लागत से बनने वाली ग्राम बिठुड़ा से नवा गुड़ा तक सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया।

इसके अलावा मंत्री कुमावत ने 68.77 लाख रुपए की लागत से जल जीवन मिशन के तहत निर्मित टंकी व पाइपलाइन कार्य तथा ग्राम बिछुड़ा व अनोपपुरा के मध्य विधायक निधि से 10 लाख रुपए की लागत से बनी पुलिया का लोकार्पण किया।

साथ ही मंत्री कुमावत ने 92 लाख 33 हजार रुपए की लागत से विधायक कोष व वित आयोग पंचायती राज मद से हुए 21 विकास कार्यों का भी उद्घाटन किया।

इस मौके पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष पूनम सिंह परमार, सुमेरपुर के बीडीओ प्रमोद दवे, पूर्व जिला प्रतिनिधि महिराज सिंह, चाणोद, सांडेराव के मंडल उपाध्यक्ष शंकर सिंह, मंडल महामंत्री मुकेश मोदी, डीवाईएसपी प्रभुलाल कुमावत, चाणोद के प्रशासक धन्नाराम, पूर्व उप सरपंच बाबू सिंह, बीडीओ प्रमोद दवे, अनोपपुरा के प्रशासक गोपाल सिंह पिरोसा, वार्ड पंच उम्मेद सिंह, भगताराम, भैराराम, एनएचएम के ब्लॉक कॉर्डिनेटर प्रमोद गिरी, बालराई प्रशासक केसाराम कुमावत सहित कई लोग मौजूद रहे।

ओरण प्रहरी पुरस्कार दिए

फलोदी, (कासं)। कृषि एवं पारिस्थितिकी विकास संस्थान (कृपाविस) द्वारा कृपाविस ओरण प्रशिक्षण केन्द्र, अलवर में तीन दिवसीय कार्यशाला के द्वितीय दिवस, 14 फरवरी को ओरणों के संसाधन प्रबंधन और स्वदेशी पारंपरिक ज्ञान पर तीसरा तकनीकी सत्र आयोजित हुआ। अध्यक्षता डॉ. नीमा पाठक एवं सहअध्यक्षता पी. विवेकानन्दन (निदेशक, सेवा, मदुरै) ने की। इस दौरान ओरण प्रहरी पुरस्कार सम्मान समारोह भी आयोजित हुआ।

थार मरूस्थल के जैसलमेर जिले से चनणाराम (डेलासर) एवं विक्रम दर्जी दर्जियों का बास, लाठी, फलोदी जिले से नारायण भारथी (ढढू) एवं हरी प्रकाश (माधो रायजी की ढाल,फलोदी), जयपुर जिले से नरेन्द्र कुमार चोटिया (बधाल) तथा अरावली पर्वत श्रृंखला के अलवर जिले से नारायणी (पथरोडा), भवानी शंकर (अदावल देवबणी, सिरावास) एवं गंगाविशन जाटव (कागलों का बास, केरवावाल) को ओरण प्रहरी पुरस्कार 2026 से ओरण संरक्षण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण योगदान पर सम्मानित किया।

अगले सत्र में प्रो. योगेश गोखले, बडौदा की अध्यक्षता में एक पैनल चर्चा हुई। जिसमें ओरण संरक्षण के लिए वैज्ञानिक, पारंपरिक और नीतिगत दृष्टिकोणों के एकीकरण पर मंथन किया गया। समापन सत्र में घोषणापत्र और सिफारिशें प्रस्तुत की गई और साथ ही अमन सिंह, प्रतिभा सिसोदिया (निदेशक, कृपाविस), डॉ. जे.पी. सिंह ने संभागियों को धन्यवाद ज्ञापित किया।

मुस्लिम सिलावट वेलफेयर संस्थान का कार्यक्रम हुआ

जालोर मुस्लिम सिलावट वेलफेयर संस्थान ने बरकत खान मेहर, शहजाद खान मेहर व कादर खान मेहर का हैड कांस्टेबल से ए.एस.आई. बनने पर स्वागत किया। फोटो-राष्ट्रदूत

जालोर, (कासं)। ऑल राजस्थान मुस्लिम सिलावट वेलफेयर संस्थान जालोर की ओर से हजरत गैबनशाह गाजी दरगाह में शुक्रवार शाम को राजस्थान पुलिस के बरकत खान मेहर, शहजाद खान मेहर व कादर खान मेहर के हैड कांस्टेबल से एएसआई के पद पर पदोन्नति होने पर जिलाध्यक्ष शहजाद खान के नेतृत्व में स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

संस्थान के जिलाध्यक्ष शहजाद खान ने बताया कि पुलिस सेवा में हमेशा तत्पर रहने वाले बरकत मेहर, शहजाद मेहर व कादर मेहर को उनकी लगन व मेहनत के चलते एएसआई पद पर प्रमोशन हुआ है । यह मुस्लिम समाज के लिए बडे गर्व की बात है। इनका हमेशा हर व्यक्ति से जुडाव होने से इनका ये स्वागत सत्कार किया जा रहा है। वही बरकत मेहर ने बताया कि मेरे पिताजी पुलिसकर्मी होने से हमे प्रारंभ से ही अनुशासन मे रहना सिखाया गया। आज पुलिस महकमे में हम तीन भाई कार्यरत है। संस्थान द्धारा जो हमारा स्वागत किया गया, इसके लिए आभारी है। शहजाद मेहर ने बताया कि पुलिस सेवा मे रहते हुए हमेशा पूर्ण ईमानदारी से कार्य किया है। उन्होने अपने बच्चों को अधिकाधिक शिक्षित करने की बात कही। कादर मेहर ने संस्थान द्धारा स्वागत कर मान सम्मान देने पर आभार जताया। कार्यक्रम मे हैड कांस्टेबल से एएसआई बनने पर संस्थान के सदस्यों द्धारा बरकत मेहर, शहजाद मेहर व कादर मेहर का साफा , माला व दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम मे अल्पाहार की व्यवस्था प्रदेश उपाध्यक्ष अयूब शेख द्वारा की गई । कार्यक्रम का संचालन नूर मोहम्मद ने किया।

इस दौरान संस्थान के प्रदेश उपाध्यक्ष अयुब शेख, प्रधानाचार्य फिरोज खान हब्शी,एडवोकेट सकील खान मेहर, लियाकत अली, एडवोकेट सलीम जावेद, मुस्ताक खान, छोटू खान, हिदायत खान,नर्सिंग आफिसर असलम शेख, ईरफान खान, जानशेर खान, जहांगीर खान,सादिक मोहम्मद, अरमान खान,जाकिर खान, इंसाफ अली, जलाल खान , असलम डीका, बरकत खान, वाजिद अली , इस्माइल खान, इकबाल खान, शमशेर खान, जुनेद खान, रमजान खान, नवाब खान, मुजफर मंडोरी कलीम अरशद सहित कई जने मौजूद थे।

याचिकाकर्ता को सुरक्षा उपलब्ध करवाने के निर्देश

जोधपुर, (कासं) । राजस्थान हाईकोर्ट ने एक गंभीर मामले में सुनवाई करते हुए बीकानेर के एक पीड़ित परिवार को तत्काल और प्रभावी पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने का कड़ा आदेश दिया है। मामला राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारी संजय बोथरा और कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा से जुड़ी धमकियों से भरा है, जिसमें कोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

यह विवाद साल 2016 से शुरू हुआ था, जब याचिकाकर्ता अल्ताफ बानो के परिवार के सदस्यों को तत्कालीन थानाधिकारी संजय बोथरा (वर्तमान में डिप्टी एसपी, ट्रैफिक, अजमेर) द्वारा कथित तौर पर अवैध रूप से हिरासत में लिया गया और उनके साथ मारपीट की गई।

बीकानेर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 2018 में इस मामले में संजय बोथरा के खिलाफ अपराधों पर संज्ञान लिया था। जब ट्रायल कोर्ट में अभियोजन पक्ष के सबूतों का चरण आया, तो आरोप है कि अधिकारी ने कानूनी परिणामों से बचने के लिए याचिकाकर्ताओं पर समझौता करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया।

याचिका में चौंकाने वाला खुलासा किया गया है कि अधिकारी के इशारे पर कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा ने याचिकाकर्ता इमरान खान को व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकियां दीं। बीस और 21 दिसंबर 2025 को रोहित गोदारा ने मोबाइल से इमरान खान को कॉल किया। गैंगस्टर ने साफ शब्दों में कहा कि अगर संजय बोथरा के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले को वापस नहीं लिया गया, तो इसके परिणाम अपरिवर्तनीय और घातक होंगे।

जस्टिस फरजंद अली ने इस स्थिति पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। कोर्ट ने कहा कि जब राज्य की मशीनरी खुद स्वीकार कर रही है कि पीड़ितों को गैंगस्टर से खतरा है, तो सुरक्षा देना विवेकाधीन नहीं, बल्कि अनिवार्य कर्तव्य है। कोर्ट ने कहा, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, तो जनता का सिस्टम से विश्वास उठ जाता है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों के जीवन की रक्षा करना राज्य का संवैधानिक दायित्व है और वह मूकदर्शक बनकर नहीं बैठ सकता।

कोर्ट ने इस मामले में प्रशासनिक उदासीनता को आड़े हाथों लेते हुए बीकानेर एसपी को निर्देश दिया है कि वे खतरे का तत्काल आंकलन करें और याचिकाकर्ताओं व उनके परिवार को निरंतर सुरक्षा प्रदान करें। इस पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट ने डीजीपी को सौंपी है। इसके साथ ही कोर्ट ने गृह सचिव और डीजीपी राजस्थान को इस पूरे प्रकरण की जांच एक वरिष्ठ अधिकारी से कराने और उचित आदेश पारित करने के निर्देश हैं। कोर्ट ने साफ कहा है कि जांच के दौरान आरोपी अधिकारी संजय बोथरा को पीड़ितों और गवाहों से पूरी तरह दूर रखा जाए ताकि ताकि जांच प्रभावित न हो। यदि पीड़ितों को कोई नुकसान होता है, तो संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जाएगी।

महा शिवरात्रि आज, चारों प्रहर पूजन आदि होंगे

जोधपुर, (कासं) । फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर रविवार को महा शिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन भगवान शिव की पूजा, रुद्राभिषेक होंगे व रात्रि में भी चारों प्रहर पूजन-रुद्राभिषेक, शिव ब्यावला का वाचन होगा। महा शिवरात्रि के दिन श्रद्धालु व्रत रखेंगे व विधि-विधान से शिव-गौरी की पूजा करेंगे।

महाशिवरात्रि पर्व पर इस बार ग्रहों के विशेष संयोग बन रहे हैं। इस बार चतुर्ग्रही योग के साथ महाशिवरात्रि पर सर्वार्थ सिद्धि योग, शुक्रादित्य योग और श्रवण नक्षत्र का दुर्लभ संयोग बन रहा है। मान्यता है कि इस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। जीवन में सभी प्रकार के कष्ट, बीमारी, पीड़ा, भय भी दूर होते हैं।

इस बार कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 15 फरवरी को शाम 5.06 बजे होगी और 16 फरवरी को शाम 5.35 बजे तक रहेगी। महाशिवरात्रि के दिन सूर्य, शुक्र, राहु और बुध ग्रह की युति का विशेष चतुग्रही योग बन रहा है। महाशिवरात्रि पर्व पर शहर के प्रमुख अचलनाथ, भूतनाथ, जागनाथ सहित सभी शिव मंदिरों व शिवालयों में पूरी रात चारों प्रहर रुद्राभिषेक व आरती होगी। शिव बारात भी निकाली जाएगी। भूतनाथ महादेव मंदिर में परिणय बन्धन की रस्म होगी।

गजसिंह वाहन रवाना करेंगे

जोधपुर, (कासं) । पूर्व नरेश गज सिंह रविवार दोपहर 12.30 बजे उम्मेद भवन पैलेस से महाराजा हनवन्त सिंह जी चेरिटेबल ट्रस्ट के सहायता प्रोजेक्ट 16 के तहत सामग्री के वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।

महाराजा हनवन्त सिंह जी चेरिटेबल ट्रस्ट के सहायक प्रबन्धक प्रदीप गंगलानी ने बताया कि प्रोजेक्ट सहायता 16 के तहत लक्जमबर्ग के विदेश मंत्रालय के सहयोग से व पदम लक्जमबर्ग के तत्वावधान में परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। उन्होंने बताया कि सहायता प्रोजेक्ट के तहत बाप व फलोदी क्षेत्र के लाभार्थी परिवारों को 105 सोलर कुकर व 20 सोलर हीटर प्रदान किए जायेंगे।

अव्यान डांगरा की ड्राइंग का सर्वोच्च स्थान मिला

अव्यान डांगरा ने तूलिका से जीवंत रंग भरते हुए महाशिवरात्रि के उत्साह और भारतीय संस्कृति को कागज पर उकेरा। फोटो-राष्ट्रदूत

जैसलमेर, (नि.सं.)। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में जैसलमेर शहर के प्रतिष्ठित सेवंथ डे एडवेंटिस्ट हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित ड्राइंग प्रतियोगिता में कक्षा 5वीं के छात्र अव्यान अमित डांगरा ने अपनी कला का जादू बिखेरते हुए सर्वोतम स्थान प्राप्त किया है।

अपनी तूलिका से जीवंत रंग भरते हुए अव्यान ने महाशिवरात्रि के उत्साह और भारतीय संस्कृति को कागज पर बखूबी उकेरा। इस उपलब्धि से उत्साहित स्कूल प्रशासन और क्लास टीचर ने अव्यान द्वारा बनाई गई ड्राइंग को स्कूल के सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित किया और अव्यान के साथ इस विशेष उपलब्धि को यादगार बनाने के लिए फोटो भी खींचा।

अव्यान के दादी दादा श्रीमति मान कँवर अचलदास डांगरा एवं माता पिता श्रीमति विद्या अमित डांगरा ने इस सफलता पर खुशी जाहिर करते हुए बताया कि अव्यान बचपन से ही रचनात्मक कार्यों में रुचि रखता है। स्कूल के शिक्षकों ने अव्यान की सराहना करते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना की है। इस छोटी सी उम्र में अव्यान की यह सफलता अन्य छात्रों के लिए भी प्रेरणा का स्त्रोत बनी है।

हाईकोर्ट का फैसला, देरी होने पर देना होगा हर्जाना

जोधपुर, (कासं) । राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्यपीठ ने राज्य के निजी नर्सिंग कॉलेजों और सरकार के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद पर एक रिपोर्टेबल निर्णय दिया है।

जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस संदीप शाह की डिवीजन बेंच ने व्यवस्था दी है कि राज्य सरकार को नर्सिंग कॉलेजों की अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के आवेदनों पर काउंसलिंग शुरू होने से कम से कम 45 दिन पहले निर्णय लेना होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार इस समय सीमा का उल्लंघन करती है, तो उसे प्रभावित संस्थानों को देरी के अनुपात में हर्जाना देना होगा। खंडपीठ का यह निर्णय आर्यमान नर्सिंग कॉलेज (जयपुर) और एमएलडी कॉलेज ऑफ नर्सिंग (केकड़ी) सहित अन्य संस्थानों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आया है।

इन संस्थानों ने राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (आरयूएचएस) द्वारा आयोजित बी.एससी. नर्सिंग काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने के लिए राज्य सरकार से समय पर एनओसी नहीं मिलने को चुनौती दी थी। कॉलेजों का तर्क था कि प्रक्रियात्मक देरी के कारण वे काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान होता है और क्षेत्र के छात्र नर्सिंग शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता संस्थानों की ओर से वकीलों ने तर्क दिया कि नर्सिंग कॉलेज सभी जरूरी आधारभूत ढांचा और संसाधन विकसित करने के बाद आवेदन करते हैं, लेकिन सरकार के स्तर पर फाइलों के अटके रहने से जीरो सेशन होने का खतरा बना रहता है। काउंसलिंग की तारीखें घोषित होने के बाद भी एनओसी पर निर्णय न लेना प्रशासनिक विफलता है, जिसका खामियाजा केवल निजी संस्थानों को भुगतना पड़ता है। कई मामलों में कॉलेजों के पास इंडियन नर्सिंग काउंसिल और राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के अनुमोदन होते हैं, फिर भी राज्य सरकार की एनओसी के अभाव में आरयूएचएस उन्हें काउंसलिंग पोर्टल पर शामिल नहीं करता।

डिवीजन बेंच ने अपने विस्तृत फैसले में माना कि हालांकि याचिकाकर्ताओं की कुछ मांगें वर्तमान सत्र के लिए स्वीकार नहीं की जा सकतीं, लेकिन भविष्य की व्यवस्था को सुधारना आवश्यक है। कोर्ट ने प्रोस्पेक्टिव डायरेक्शन (भावी निर्देश) जारी करते हुए कहा कि आगामी शैक्षिणक सत्र से, सरकार को काउंसलिंग के पहले दौर के शुरू होने से न्यूनतम 45 दिन पहले एनओसी के आवेदनों पर अपना अंतिम निर्णय (स्वीकृति या अस्वीकृति) लेना होगा। यदि सरकार 45 दिन की इस डेडलाइन का पालन करने में विफल रहती है, तो उसे देरी के कारण प्रभावित होने वाले कॉलेजों को हर्जाना देना होगा। यह हर्जाना देरी के दिनों के अनुपात में तय किया जाएगा।

मोटे अनाज का महत्व बताया

जैसलमेर, (नि.सं.)। ईट राईट इंडिया अभियान अंतर्गत विश्व धरोहर सोनार दुर्ग की तलहटी अखे प्रोल में ईट राईट मेला आयोजित किया गया।

जिला मुख्यालय पर मोटे अनाज श्री अन्न अपनाने व जागरूकता के संबंध में चिकित्सा विभाग द्वारा भव्य ईट राईट मेले का आयोजन शनिवार को किया गया। ।वाचार के रूप में आयोजित ईट राईट मेले की आमजन के साथ देशी विदेशी सैलानियों द्वारा भी सराहना की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ राजेंद्र कुमार पालीवाल ने कहा कि ईट राइट मेला एक ऐसा जागरूकता कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य लोगों को सुरक्षित ,स्वच्छ, पौष्टिक भोजन के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने बताया कि संतुलित आहार, खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता और मिलावट से बचाव के बारे में सभी को जागरूक होना आवश्यक है। ईट राईट मेले में श्री अन्न उत्पादों से संबंधित विभिन्न स्टॉल भी लगाए गए। स्टालों में स्वास्थ्य वर्धक व्यंजन , मोटे अनाज श्री अन्न एवं पोषण से परिपूर्ण खाद्य सामग्रियां का प्रदर्शन कर प्रचारित किया गया। डीपीसी उमेश आचार्य ने बताया कि ईट राइट मेला एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। हम सभी को श्री अन्न अपनाना है तथा प्रत्येक आमजन को भोजन में श्री अन्न बाजरा, ज्वार ,रागी आदि अपनाने के लिए प्रेरित करना है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी किशनाराम कड़वासरा ने बताया कि आज के समय में फास्ट फूड व खानपान के कारण मोटापा , मधुमेह और हृदय रोग जैसी समस्याएं बढ़ रही है। ऐसे में ईट राईट मेला सही खाओ स्वस्थ रहो का संदेश दे रहा है। ईट राइट मेले में प्रशिक्षणार्थी एएनएम द्वारा श्री अन्न के महत्व एवं उपयोगिता को प्रदर्शित करते मॉडलों का भी प्रदर्शन भी किया गया। निर्णायकों द्वारा मॉडलो को प्रथम द्वितीय व तृतीय स्तर के रूप में चिन्हित कर प्रशिक्षणार्थी एएनएम को स्मृति चिन्ह प्रदान कर पुरस्कृत किया गया। मेला आयोजन के अवसर पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी किशनाराम कड़वासरा, कीर्ति पाल सिंह भाटी, देवेंद्र चंदेल, गणेशाराम , डीपीसी उमेश आचार्य, एएनएम प्रशिक्षण केंद्र की वार्डन पूजाकुमारी व दीप्ति डेनिस, डॉ सलीम जावेद, दिनेश कुमार तथा चिकित्सा विभागीय कार्मिक भी उपस्थित थे।

नाबालिग का अवैध पिस्टल के साथ पकड़ा

जोधपुर, (कासं) । कमिश्नरेट की डांगियावास पुलिस ने नाबालिग से देशी पिस्टल बरामद कर उसे निरूद्ध किया। उसके खिलाफ केस बनाया गया है। डांगियावास थानाधिकारी दौलाराम गश्त पर थे। शाम को पीथावास गांव की सरहद में एक नाबालिग संदिग्ध दिखा और तलाशी ली तब उसके पास में अवैध देशी पिस्टल मिली। इस पर उसे निरूद्ध किया गया।

पारसमल मालू अध्यक्ष बने

गुड़ामालानी, (कासं)। गुड़ामालानी उपखण्ड मुख्यालय के जैन मौहल्ले में स्थित बाड़मेर भवन में बाड़मेर जैन श्री संघ की साधारण मीटिंग हुई।

संघ के सचिव कैलाश मालू ने बताया कि संघ का सर्वसम्मति से नवगठन करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात आम सहमति से बाबुलाल धारीवाल को संरक्षक, पारसमल मालू को अध्यक्ष, बाबुलाल पी. बोथरा, भगवानदास छाजेड, पवनकुमार धारीवाल को उपाध्यक्ष, बाबुलाल बी बोथरा को कोषाध्यक्ष, सुरेशकुमार पारख को सह कोषाध्यक्ष, कैलाशचन्द मालू को सचिव, अभयकुमार सिंघवीं व केवलचन्द संखलेचा को सह सचिव व ओमप्रकाश बोथरा, सम्पतराज संखलेचा, रतनलाल लालण, सुरेश कुमार छाजेड, जगदीशचन्द भंसाली, पुरषोत्तमदास छाजेड, किशन लाल बोथरा को ट्रस्टी मनोनीत किये गए। नवनिर्वाचित अध्यक्ष पारसमल मालू ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहाँ कि सभी के सहयोग से संघ के सभी कार्य सुव्यवस्थित संचालित करने का आश्वासन दिया। पारसमल मालू ने सभी का आभार व्यक्त किया।

हाईकोर्ट से पींजारा समाज को राहत, पालिका भिंडर के आदेश पर रोक

जोधपुर, (कासं) । राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ के न्यायाधीश कुलदीप माथुर ने पींजारा समाज भीण्डर जिला उदयपुर को दी गयी दो बीघा जमीन के भू उपयोग परिवर्तन के आदेश 30 सितंबर 2023 को नगर पालिका भिण्डर के अधिशाषी अभियन्ता द्वारा आदेश 13 जनवरी 2026 से निरस्त करने के आदेश पर रोक लगायी।

दरअसल पींजारा समाज भिण्डर द्वारा पार्क बनाने के उद्देश्य से स्वायत शासन विभाग को 2 बीघा जमीन शहरी क्षेत्र की सुपुर्द की गयी। इस जमीन के बदले स्वायत शासन विभाग द्वारा उन्हें 2 बीघा जमीन ग्रामीण क्षेत्र में पींजारा समाज को अवंटित की गयी। इस जमीन के बदले जमीन का आवंटन करते वक्त स्वायत शासन विभाग द्वारा यह शर्त रखी गई की यह जमीन केवल कब्रिस्तान के लिये उपयोग में ली जायेगी। इस शर्त से पींजारा समाज समाज में हड़कंप मच गया। समाज द्वारा इस शर्त को हटाकर जमीन को स्कूल, हॉस्टल व अन्य उपयोग में लेने के लिये स्वायत शासन विभाग से निवेदन किया गया।

पींजारा समाज द्वारा स्वायत शासन विभाग से निवेदन करने पर स्वायत शासन विभाग द्वारा 30 सितंबर 2023 को उनके निवेदन को जायज ठहराते हुए कब्रिस्तान की शर्त को हटाकर जमीन को अन्य उपयोग में लेने की छूट प्रदान कर दी गयी।

19 जनवरी 2025 को राज्य सरकार द्वारा मंत्रालयिक स्तर पर एक कमेटी का गठन किया गया। जिसके द्वारा 01 अप्रेल 2023 से 14 दिसम्बर 2023 के मध्य पूर्ववर्ती सरकार द्वारा विभिन्न समाज को जो भूमि आवंटन करने की प्रक्रिया निर्णयाधीन थी उन सब को निरस्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया। इस मंत्रालयिक कमेटी द्वारा पींजारा समाज को जो जमीन का उपयोग संशोधित करने का आदेश 30 सितंबर 2023 को पारित किया गया था उसको भी निरस्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया। अधिशाषी अभियन्ता नगर पालिका भीण्डर द्वारा पींजारा समाज को भूमि उपयोग संशोधन का जो आदेश वर्ष 2023 में पारित किया गया था उसे मंत्रालयिक कमेटी के प्रस्ताव के आधार पर 13 जनवरी 2026 को निरस्त कर दिया गया।

इस निरस्तीकरण के आदेश 13 जनवरी 2026 से व्यथित होकर पींजारा समाज के अध्यक्ष अनवर हुसैन ने एक रिट याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष अपने अधिवक्ता प्रमेन्द बोहरा के माध्यम से प्रस्तुत की। बोहरा का न्यायालय के समक्ष यह तर्क था कि मंत्रालयिक कमेटी द्वारा उन जमीनों का आवंटन रद्द किया गया, जो 1 अप्रेल 2023 से 14 दिसम्बर 2023 के मध्य आवंटन होने की प्रक्रियाधीन थी जबकि प्रार्थी पींजारा समाज को आंवटन तो वर्ष 2010 में ही हो चुका है, 01 अप्रेल 2023 से 14 दिसम्बर 2023 के मध्य तो केवल भूमि के उपयोग को परिवर्तित किया गया है, जिसके तहत भूमि का उपयोग कब्रिस्तान के स्थान पर अन्य उपयोग हेतु करने का आदेश पारित किया गया था। इसके बावजूद भी मंत्रालियक कमेटी द्वारा प्रस्ताव एवं अधिशाषी अभियन्ता द्वारा मंत्रालियक कमेटी द्वारा जो प्रस्ताव पारित किया गया है एवं उसकी आड में अधिशाषी अभियन्ता नगर पालिका भीण्डर द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वो अनुचित एवं विधि विरूद्ध है। इसका भूमि उपयोग निरस्तीकरण आदेश पारित करने से पूर्व पींजारा समाज को ना तो कोई नोटिस दिया गया ना ही कोई सुनवाई का मौका दिया गया। यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध है।

प्रार्थी के तर्कों से सहमत होते हुए उच्च न्यायालय ने स्वायत शासन विभाग, नगर पालिका भीण्डर, जिला उदयपुर व कलक्टर, उदयपुर को नोटिस जारी किये व साथ ही अधिशाषी अभियन्ता नगर पालिका भीण्डर जिला उदयपुर के 13जवरी 2026 के आदेश की क्रियान्विती पर रोक लगायी।

फलसुंड थाना क्षेत्र का निरीक्षण

पोकरण, (निसं)। पोकरण विधानसभा क्षेत्र के फलसुंड थाना का शिवहरे, जिला पुलिस अधीक्षक जैसलमेर ने फलसूंड थाना का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उनके आगमन पर वीर सिंह भाटी के नेतृत्व में गार्ड ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मान प्रकट किया। एसपी ने रिकॉर्ड संधारण, मालखाना, मैस, स्वागत कक्ष, हवालात, जवान बैरिक, कंप्यूटर कक्ष, महिला डेस्क सहित सभी शाखाओं का सूक्ष्म अवलोकन किया।

निरीक्षण उपरांत सीएलजी सदस्यों, ग्राम रक्षकों, पुलिस मित्रों, सुरक्षा सखियों, जनप्रतिनिधियों और नागरिकों के साथ बैठक की गई। पत्रकार संघ की ओर से विनोद शर्मा, गणेश जैन और सुमेरदान के नेतृत्व में एसपी का स्वागत किया गया। पुलिस उप अधीक्षक भवानी सिंह, एएसआई राजू सिंह, सहीराम डारा, फूल सिंह, कंप्यूटर ऑपरेटर रिछपाल सिंह, रामलाल सहित थाना स्टाफ उपस्थित रहा। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार सुमेरदान, गणेश जैन, मदन सिंह जोधा, विनोद शर्मा तथा सीएलजी सदस्य ठाकुर गंगा सिंह, फलसूंड सरपंच रतन सिंह आदि मौजूद रहे।

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,

प्लाट सं. 25 व 26 सिंधा कॉलोनी, नया खेडा, सांतपुर, तहसील आबुरोड, जिला सिरोही (राज.)

क्रमांक-राप्रनिम/क्षे.का सिरोही/जेएम-626/ दिनांक-यथा हस्ताक्षरित

खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आम सूचना

(1) सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री शंकर सिंह राजपुरोहित द्वारा प्रस्तावित बजरी खनन परियोजना (रेत व बजरी-3,17,821.05 TPA) खनन क्षेत्रफल 23.5423 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 830.8603 हैक्टेयर, प्लॉट सं. 12 ग्राम ऊण तहसील आहोर जिला जालौर से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, राजस्थान सरकार, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। (2) चूंकि, श्री शंकर सिंह राजपुरोहित द्वारा उक्त परियोजना के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में पर्यावरणीय जन सुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। (3) चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधन के प्रावधानों के अनुसरण में लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है। (4) उक्त परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है- 1. कार्यालय जिला कलक्टर, जालौर। 2. कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र, जालौर। 3. कार्यालय खनि अभियंता, जालौर। 4. कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, आहोर, जिला जालौर। 5. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। 6. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल-4 पर्यावरण मार्ग, संस्थानिक क्षेत्र झालना डूंगरी जयपुर। 7. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जयपुर राजस्थान। 8. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, आबूरोड, सिरोही। 9. अटल सेवा केन्द्र कार्यालय आहोर, तहसील आहोर, जिला जालौर।

अत सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आप उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 16.03.2026 को अटल सेवा केन्द्र, आहोर, तहसील आहोर, जिला जालौर में समय दोपहर 12.00 बजे उपस्थित होकर अपने सुझाव/आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है साथ ही इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के भीतर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, आबूरोड, जिला सिरोही में भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

(ई-हस्ताक्षर)
(बी.आर. सियाग)
क्षेत्रीय अधिकारी